उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-32/2023/आई/450223/2023-फा0नं0-10-22099/1401/2020

लखनऊ:दिनांक 18 दिसम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।

पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पूर्व में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-25/2022/आई/228471/2022/फा0नं0-10-22099/1401/2022-22 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा मासिक दर महँगाई राहत स्वीकृत की गयी थी।

2- श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को निम्न तालिका के अनुसार मासिक दर पर महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तिथि जब से देय है	महँगाई राहत की मासिक दर
01-01-2023	412 प्रतिशत
01-07-2023	427 प्रतिशत

3- ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें पंचम वेतनमान के अधीन स्वीकृत अपुनरीक्षित अन्तिम दरों पर पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- चूँकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिये यह प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करेंगे।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in